न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– मुक्तानन्द अग्रवाल, I.A.S.

प्रकरण संख्या –97/2006 (प्रार्थना पत्र)

1. घनश्याम पुत्र स्व0 लूनीलाल जाति माली
2. रमेश पुत्र स्व0 लूनीलाल जाति माली निवासियान छोटी समाध केपास रामपुरा कोटा । ––अपीलाण्ट.

बनाम

श्री सत्यनारायण बसवाल नायब तहसीलदार मण्डाना जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट

उपस्थिति

1. श्री सोहनलाल राव, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक– 16.07.019

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के पूर्व प्रकरण सं0 71/2005 निर्णय दिनांक 28.2.2006 से प्रार्थीगण की भुगती गई सजा के अतिरिक्त शेष सजा माफ की गई थी, किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए प्रकरण संख्या 2344/2005 अन्तर्गत धारा 91 में गिरफ्तारी वारंट जारी करके उसे गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने के आदेश थाना कोतवाली कोटा को दिये गये जिसमें पेशी दिनांक 31.3.2006 नियत की गई । न्यायालय जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 28.2.2006 की अवहेलना करने पर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस न्यायालय में दिनांक 31.3.2006 को पेश किया गया ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नायब तहसीलदार पद पर रहते हुए धारा 91 के तहत घनश्याम, रमेश पिता लूनीलाल को 3–3 माह के सिविल कारावास की सजा दी गई थी, सिविल कारावास की सजा को श्रीमान द्वारा आंशिक रूप से दिनांक 28.2.2006 को स्वीकार करते हुए 3 माह के आदेश को यथावत रखते हुए, भुगती हुई सजा के पश्चात शेष सजा निरस्त कर दी गई थी । निर्णय की पालना में रमेश की भुगती हुई सिविल सजा के अतिरिक्त शेष सिविल कारावास के दण्ड को माफ किया गया था, जबकि घनश्याम के बारे में स्पष्ट नहीं था, जिसके लिए पुनः पत्र लिख कर श्रीमान से मार्गदर्शन मांगा गया था तथा निर्णय अनुसार रमेश को तुरन्त रिहा करने के आदेश जारी कर दिये थे । श्रीमान के निर्णय की प्रति मिलते ही प्रार्थी क्र.सं. 2 की रिहाई के आदेश जारी कर दिये किन्तु आने जाने में समय लगा उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से निर्णय की पालना में देरी नहीं की गई । श्रीमान के निर्णय हो जाने पर तुरन्त ही वादीगण को रिहा किया गया था । श्रीमान के आदेश की पूर्ण पालना की गई है तथा श्रीमान के निर्णय का सदैव सम्मान किया गया है । कन्टेम्प्ट की कार्यवाही महज परेशान करने की गरज से लगाई गई है । अतः प्रार्थी के विरूद्व की गई कन्टेम्प्ट की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

3. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि श्रीमान का आदेश दिनांक 28.2.2006 से प्रार्थीगण की भुगती गई सजा के अतिरिक्त शेष सजा माफ की गई थी, किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए कलक्टर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है एवं एक दिन ज्यादा जैल में रखा गया । अतः अप्रार्थी के विरूद्व न्यायालय अवमानना की कार्यवाही की जावें ।

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 28.02.2006 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्ट रमेश की भुगती गई सिविल सजा के अतिरिक्त शेष सिविल कारावास के दण्ड को माफ किया गया था । अप्रार्थी नायब तहसीलदार के कथन से सहमत है कि निर्णय दिनांक 28.2.2006 में रमेश की भुगती हुई सजा के अतिरिक्त शेष सिविल कारावास के दण्ड को माफ किया गया था, जबकि सहवन से भूलवश घनश्याम के बारे मे स्पष्ट नही था । ऐसी स्थिति में निर्णय की अस्पष्टता के कारण प्रार्थी घनश्याम को सजा भुगतनी पड़ी । चूंकि अप्रार्थी श्री सत्यनारायण बसवाल, नायब तहसीलदार मण्डाना वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है, ऐसी स्थिति में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "न्यायालय अवमानना" का खारिज किया जाता है ।

5. निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner